उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

बुधवार, 29 माघ, शक संवत् 1947

(18 फरवरी, 2026)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-प्रश्न (देखिये नत्थी 'क' व 'ख')।

2-निधन के निदेश।

3-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयकों को सदन की मेज पर रखेंगे :-

(1) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026

(2) उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2026

4-जल शक्ति तथा बाढ़ नियन्त्रण मंत्री, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 द्वारा यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 2023-2024 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

5-कारागार मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-103/ 2022/1275/22-4-2022-80(2)-2000, दिनांक 17 अगस्त, 2022 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश कारागार मैनुअल-2022 को कारागार अधिनियम, 1894 की धारा-59 की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

6-कारागार मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-59/2025/56/22-4-2025-1794027, दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश कारागार मैनुअल (प्रथम संशोधन)-2025 को कारागार अधिनियम, 1894 की धारा-59 की उपधारा (2) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

7-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत कस्बा मैगलगंज से नगर निगम शाहजहांपुर तक इलेक्ट्रिक बस सेवा को पुनः प्रारम्भ करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रजनीकान्त महेश्वरी व श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

8-श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, प्रदेश में वर्तमान व्यवस्था में फैक्ट्रियों का निरीक्षण डिप्टी डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज द्वारा तथा अनुपालन असिस्टेन्ट डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज द्वारा किये जाने की समस्या के सम्बन्ध में श्री आशुतोष सिन्हा व श्री शाह आलम, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

9-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), लखनऊ पॉलीटेक्निक तथा बाराबंकी शहर से प्रसिद्ध सिद्धपीठ सैलानी माता मन्दिर तक बस सेवा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंगद कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

10-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद-लखीमपुर खीरी के जिला मुख्यालय से सड़क परिवहन निगम की बसों के संचालन के सम्बन्ध में श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

11-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), अमर शहीद मेजर सलमान खान अन्तर्राज्यीय बस स्टेशन, कानपुर नगर एवं उक्त बस स्टेशन पर जारी होने वाले ई0टी0आई0एम0 मशीन से निर्गत टिकटों पर अंकित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

12-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-शुकुलपुर, विकास खण्ड-हैदरगढ़, जनपद-बाराबंकी के निवासियों की ओर से श्री बाबा बलदेव दास जी कुटी का जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ग')

13-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-जारमऊ, विकास खण्ड-हैदरगढ़, जनपद-बाराबंकी के निवासियों की ओर से राजकीय इण्टर कॉलेज, जारमऊ का उच्चीकृत व सौन्दर्यीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

14-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-नूरपुर, विकास खण्ड-महेबा, जनपद-जालौन के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ङ')

15-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-ईगुइकलां, विकास खण्ड-कोंच, जनपद-जालौन के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'च')

16-डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-लौदह इमादपुर, पोस्ट-दामा, विकास खण्ड मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ के निवासियों की ओर से सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'छ')

17-इंजी0 अवनीश कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-कोलवा, विकास

खण्ड-हैदरगढ़, जनपद-बाराबंकी के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ज')

18-उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

19-उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

20-उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

21-उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

22-नगर विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

23-नगर विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

24-नगर विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2026, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

25-नगर विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2026, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

26-वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (तृतीय दिवस)।

लखनऊ :
बुधवार, 29 माघ, शक संवत् 1947
(18 फरवरी, 2026)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
****1**	**12-2-2026**
****2**	**12-2-2026**

नत्थी 'क'

बुधवार, दिनांक 18 फरवरी, सन् 2026 ई0

अल्पसूचित प्रश्न

जनपद-महोबा के परिवहन कार्यालय में फिटनेस करने का अधिकार ARTO को देने के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
1

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

**1-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद महोबा के परिवहन कार्यालय में दिनांक 01-01-2026 से वाहनों की फिटनेस का कार्य बन्द कर दिया गया है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या जनपद-महोबा में बच्चों के स्कूल बस, स्कूल वैन, (डग्गा) ई-रिक्शा एवं ट्रकों के फिटनेस न होने के कारण पूरे जनपद में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गयी है तथा वाहन स्वामी को बीमा कम्पनी से क्लेम भी नहीं मिल पा रहा है ?

(घ) क्या उक्त अव्यवस्था को देखते हुये जनपद-महोबा में फिटनेस करने का अधिकार ARTO को देने पर कार्यवाही करायेंगे ?

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक फिटनेस करने का अधिकार ARTO महोबा को देकर कार्य सुचारु रूप से संचालित करायेंगे ?

(च) क्या उक्त समस्या का समाधान कर उसकी सूचना सदन की मेज पर रखेंगे ?

जनपद-हमीरपुर, कानपुर, महोबा, झाँसी, बांदा, फतेहपुर तथा चित्रकूट, प्रयागराज के फिटनेस सेन्टरों को बहाल कर पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
2

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

**2-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में तीन-तीन फिटनेस सेन्टर खोले जाने के निर्देश दिये गये हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो क्रमशः जनपद-हमीरपुर, कानपुर, महोबा, झाँसी, बांदा, फतेहपुर तथा चित्रकूट, प्रयागराज में संचालित फिटनेस सेन्टरों को बन्द कर प्राइवेट फिटनेस सेन्टरों से सम्बद्ध करा दिये जाने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या उक्त जनपदों में सरकार द्वारा संचालित फिटनेस सेन्टरों को बन्द कर विभिन्न जनपदों के प्राइवेट फिटनेस सेन्टरों से सम्बद्ध किये जाने से भ्रष्टाचार का बढ़ावा/पारदर्शिता/प्रतिस्पर्धा को समाप्त किये जाने हेतु ही सम्बद्ध किया गया है ?

(घ) यदि नहीं, तो उपरोक्त जनपदों के सम्बद्ध किये गये फिटनेस सेन्टरों को बहाल कर पुनः चालू कराये जाने की कार्यवाही करायेंगे ?

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक उक्त योजना को पुनः चालू कराकर उसकी सूचना सदन की मेज पर रखेंगे ?

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
*1	5-2-2026
*2	8-2-2026
*3	9-2-2026
*4	10-2-2026

अतारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
1	8-2-2026
2	8-2-2026
3	8-2-2026
4	8-2-2026

नत्थी 'ख'

बुधवार, दिनांक 18 फरवरी, सन् 2026 ई0

तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के पंजीकरण के उपरान्त सेवायोजित करने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 1 — श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

*1-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के पंजीकरण की व्यवस्था है ?

(ख) क्या पंजीकृत श्रमिकों को योग्यतानुसार सेवायोजित किये जाने की योजनाएं संचालित हैं ?

(ग) यदि हां, तो वाराणसी, आजमगढ़ एवं मिर्जापुर मण्डल में कितने पंजीकृत श्रमिकों को सेवायोजित किया गया ?

(घ) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

वाराणसी, मिर्जापुर और आजमगढ़ मण्डल के कारागारों के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 2 — कारागार मंत्री

*2-(क) क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि वाराणसी, मिर्जापुर और आजमगढ़ मण्डल में कुल कितने कारागार हैं ?

(ख) उक्त कारागारों में कैदियों को रखने की क्षमता कितनी है ?

(ग) उक्त कारागारों में कितने कैदी निरुद्ध हैं ?

(घ) क्या उक्त की सूची सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहनवाज खान 3	*3-[अन्तरित]	

जनपद-लखनऊ के शिक्षित छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 4	*4-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ के शिक्षित छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या-469/सात/ई-8/सेवा0 सहा0/लखनऊ, दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 के द्वारा सहायक निदेशक, क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ को सम्बोधित पत्र के माध्यम से निर्देशित किया है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त छात्रों को रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उक्त छात्रों को रोजगार उपलब्ध करा दिया जायेगा ?	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

अतारांकित प्रश्न

डा0 मान सिंह यादव 1	1-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पेट परीक्षा-दिसम्बर, 2024 से माह दिसम्बर, 2025 तक एक भी विज्ञापन नहीं जारी किया गया है ? (ख) क्या उक्त पेट-2025 के अधीन आहूत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने पेट दिया है, परन्तु विज्ञापन न निकलने के कारण ओवर एज हो गये हैं ? (ग) उक्त समस्या के निदान हेतु अभी तक जारी विज्ञापनों में आयु सीमा में छूट प्रदान करायेंगे ? (घ) यदि हां, तो कब तक ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 2	2-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (P.E.T.) द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा में रिक्तियों की संख्या कम होने के कारण सीमित प्रतियोगी छात्र ही प्रतिभाग कर पाते हैं ? (ख) यदि इसमें कॉमन कट ऑफ आयोग द्वारा निर्धारित कर दी जाये, तो ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगी छात्रों को लाभ मिल सकेगा ?	मुख्य मंत्री

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त समस्या के समाधान हेतु सरकार कॉमन कट ऑफ जारी करेगी ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 3	3-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-सिधौली के अन्तर्गत कस्बा-अटरिया से लखनऊ तक परिवहन निगम की बस सेवा पूर्व में नियमित रूप से संचालित थी, किन्तु वर्तमान में उक्त बस सेवा बन्द पड़ी है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? (ख) यदि हां, तो उक्त समस्या के निराकरण हेतु अटरिया से लखनऊ तक बस सेवा को पुनः प्रारम्भ करवायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 4	4-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर में सीतापुर से मछरेहटा-मिश्रिख तीर्थ मार्ग पर परिवहन के साधन न होने के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निराकरण हेतु जनपद मुख्यालय एवं राजधानी के लिये परिवहन निगम की बसों की व्यवस्था करवायेंगे ? (ग) यदि हां, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

नत्थी 'ग'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-बाराबंकी के ग्राम पंचायत-शुकुलपुर, विकास खण्ड-हैदरगढ़ में श्री बाबा बलदेव दास जी कुटी का जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि हम समस्त ग्रामवासी जनपद-बाराबंकी के ग्राम पंचायत-शुकुलपुर, विकास खण्ड-हैदरगढ़ में श्री बाबा बलदेव दास जी कुटी का सौन्दर्यीकरण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है, हम सब पिछले कई वर्षों से प्रयासरत हैं किन्तु कोई सफलता नहीं है।

अतः महोदय से अनुरोध करना है कि जनपद-बाराबंकी के ग्रा0 पंचायत शुकुलपुर, विकास खण्ड-हैदरगढ़ में श्री बाबा बलदेव दास जी कुटी का जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण कार्य कराये जाने करवाने जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-बाराबंकी के ग्राम पंचायत-जारमऊ, विकास खण्ड-हैदरगढ़ में राजकीय इण्टर कॉलेज, जारमऊ का उच्चीकरण/सौन्दर्यीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि हम समस्त ग्रामवासी जनपद-बाराबंकी के ग्राम पंचायत-जारमऊ, विकास खण्ड-हैदरगढ़ में राजकीय इण्टर कॉलेज, जारमऊ का उच्चीकरण/सौन्दर्यीकरण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है, हम सब पिछले कई वर्षों से प्रयासरत हैं किन्तु कोई सफलता नहीं है।

अतः महोदय से अनुरोध करना है कि जनपद-बाराबंकी के ग्रा0 पंचायत-जारमऊ, विकास खण्ड-हैदरगढ़ में राजकीय इण्टर कॉलेज, जारमऊ का उच्चीकरण/सौन्दर्यीकरण कार्य कराये जाने/करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ङ'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-जालौन, विकास खण्ड-महेबा के ग्राम पंचायत-नूरपुर में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि हम समस्त ग्रामवासी जनपद-जालौन, विकास खण्ड-महेबा के ग्राम-पंचायत-नूरपुर में सम्पर्क मार्ग पूरी तरह से उखड़ गया है, जिसके कारण गहरे गड्ढे हो जाने से छोटे व चार पहिया

वाहनों का गांव तक पहुंचना कठिन हो गया है, बड़े वाहनों को आने-जाने में काफी कठिनाइयां होती हैं, सम्पर्क मार्ग के निर्माण के लिये जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः महोदय से अनुरोध करना है कि जनपद-जालौन, विकास खण्ड-महेबा के ग्राम पंचायत-नूरपुर में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-जालौन, विकास खण्ड-कोंच के ग्राम पंचायत-ईगुइकलां में इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि हम समस्त ग्रामवासी जनपद-जालौन, विकास खण्ड-कोंच के ग्राम पंचायत-ईगुइकलां में सड़क कच्चा होने के कारण ग्रामीणों को आने-जाने में काफी समस्या होती है, सड़क निर्माण के लिये जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी, जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः महोदय से अनुरोध करना है कि जनपद-जालौन, विकास खण्ड-कोंच के ग्राम पंचायत-ईगुइकलां में इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'छ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-आजमगढ़ के विकास खण्ड-मेंहनगर के ग्राम पंचायत-लौदह इमादपुर, पो0-दामा में श्री रामबचन मौर्या के घर से स्व0 रामकृपाल वर्मा के घर तक 400 मी0 आर0सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि हम समस्त ग्रामवासी जनपद-आजमगढ़ के विकास खण्ड-मेंहनगर के ग्राम पंचायत-लौदह इमादपुर, पो0-दामा के निवासी हैं। हमारे ग्राम सभा में श्री रामबचन मौर्या के घर से स्व0 रामकृपाल वर्मा के घर तक के लगभग 400 मी0 रास्ता कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है तथा साथ में नाली का निर्माण न होने के कारण वर्ष पर्यन्त जलभराव एवं कीचड़ की स्थिति बनी रहती है। इस मार्ग से निकलने वाले राहगीर, क्षेत्रीय निवासी एवं स्कूली बच्चे आये दिन चोटिल होते रहते हैं, कई बार क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा जिला स्तर पर अवगत कराये जाने के बावजूद कोई व्यवस्था नहीं की गयी है एवं दिन-प्रतिदिन रास्ता की स्थिति बदत्तर होती जा रही है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः महोदय से अनुरोध करना है कि जनपद-आजमगढ़ के विकास खण्ड-मेंहनगर के ग्राम पंचायत-लौदह इमादपुर, पो0-दामा में श्री रामबचन मौर्या के घर से स्व0 रामकृपाल वर्मा के घर तक लगभग 400 मी0 सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ज'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम–213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-बाराबंकी के विकास खण्ड-हैदरगढ़, ग्राम पंचायत कोलवा के अन्तर्गत राजावन्द के पुरवा ग्राम पंचायत अंगुरी तक लगभग 1.50 किमी0 सड़क का मरम्मतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि हम समस्त ग्रामवासी जनपद-बाराबंकी के विकास खण्ड-हैदरगढ़, ग्राम पंचायत कोलवा के अन्तर्गत राजावन्द के पुरवा ग्राम पंचायत अंगुरी तक लगभग 1.50 किमी0 सड़क खराब है। जिसके लिये हम सब पिछले कई वर्षों से प्रयासरत् हैं, किन्तु अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः महोदय से अनुरोध करना है कि जनपद-बाराबंकी के विकास खण्ड-हैदरगढ़, ग्राम पंचायत कोलवा के अन्तर्गत राजावन्द के पुरवा ग्राम पंचायत अंगुरी तक लगभग 1.50 किमी0 सड़क का मरम्मतीकरण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा मुद्रित।